



पत्रांक: 3720/भावि/कुसाका/2023/

दिनांक : 09 अक्टूबर, 2023

कार्य परिषद् की कार्यवाही

दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही :

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :

1.	प्रो० एन०बी० सिंह, मा० कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.)	(न्यायिक) सदस्य
3.	प्रो० जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायण वोक्शनल पी०जी० कॉलेज (के०के०वी०), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो० ललिता राव, सेवानिवृत्त-बी०एड० विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी०जी० कॉलेज, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	प्रो० सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर-स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी०एस०जे०एम० यूनिवर्सिटी, कानपुर।	सदस्य
6.	श्री फौजान अलावी, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 10 सिन्धिया हाउस, 11 तल, कलाट प्लेस, नई दिल्ली (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
7.	प्रो० मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष-कला एवं मानविकी	सदस्य
8.	प्रो० एहतेशाम अहमद, आचार्य-वाणिज्य, सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो० सौबान सईद, आचार्य-उर्दू, सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
10.	प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, आचार्य-उर्दू विभाग।	सदस्य
11.	प्रो० चन्दना डे, आचार्य-शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	डॉ० मोहम्मद शारिक, सहायक आचार्य-शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
13.	डॉ० अताउर्रहमान आजमी, सहायक आचार्य-व्यवसाय प्रशासन	सदस्य
14.	श्री साजिद आजमी, वित्त अधिकारी	विशेष आमंत्रित
15.	डॉ० भावना मिश्रा, कुलसचिव	सचिव

Smish

—



सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

बिन्दु संख्या-1 :

डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य-राजनीतिशास्त्र के परास्नातक अंकपत्र की पुष्टि मानव भारती विश्वविद्यालय से न होने कारण कार्य परिषद् की संस्तुति के क्रम में प्रकरण अनुशासनिक समिति को संदर्भित किया गया था। अनुशासनिक समिति की अनुशंसा के क्रम में मा० कार्य परिषद् द्वारा डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना को पत्रांक संख्या-2292/भा.विवि/कु.का/2023/733/21 दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा निलम्बित किया गया था, जिसके विरुद्ध डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-6941/2023 योजित की गयी, जिसमें दिनांक 22-09-2023 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिस पर विश्वविद्यालय अधिवक्ता से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया। तदनुसार मा० उच्च न्यायालय का निर्णय एवं विश्वविद्यालय अधिवक्ता से प्राप्त विधिक अभिमत माननीय कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

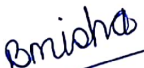
निर्णय :

डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग द्वारा उनके निलम्बन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-6941/2023 में दिनांक 22-09-2023 को पारित आदेश एवं इसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिवक्ता द्वारा दिये गये विधिक परामर्श से कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया। सम्पूर्ण प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श के उपरान्त कार्यपरिषद् द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये-

1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में विशेष अपील (Special Appeal) याचिका दायर किया जाये। इस हेतु विश्वविद्यालय की ओर से विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता को भी आबद्ध किया जाये।
2. माननीय उच्च न्यायालय में दायर विशेष अपील याचिका में अनुतोष (relief) न मिलने की स्थिति में दिनांक 22.09.2023 को पारित आदेश का अनुपालन किया जाये।
3. डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना द्वारा मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-6941/2023 के साथ प्रस्तुत किये गये मानव भारती विश्वविद्यालय से निर्गत माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया जाये।

डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक जांच को शीघ्र पूर्ण किये जाने के लिए अनुशासनिक समिति को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।


(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव/सचिव


(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष